संख्या-33/2017/सा-3-594/दस-2017-308/2016

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 06 अक्टूबर, 2017

विषयः- वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की संस्तुतियों के लागू किये जाने पर दिनॉक 01-01-2016 से पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय अवशेष के 50 प्रतिशत का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की संशोधित पेंशन सम्बन्धी शासनादेश क्रमशः कार्यालय-ज्ञाप संख्या-39/2016/सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनॉक 23-12-2016 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/2016/सा-3-921/दस-2016-308/2016, दिनॉक 23-12-2016 में वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2016 की संस्तुतियों को लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2016 से पेंशन पुनरीक्षण के उपरान्त अवशेष देय के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह अक्टूबर तथा शेष 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अक्टूबर माह में किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रकरण में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेवारत राजकीय कर्मचारियों की भॉति राज्य के समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31-12-2016 तक के देय अवशेष के प्रथम 50 प्रतिशत अंश का भुगतान माह दिसम्बर, 2017 के उपरान्त किया जायेगा।

भवदीय
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-33/2017/सा-3-594(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6- निदेशक, पेंशन, निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।

10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।